



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 76) पटना, बुधवार, 21 जनवरी 2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2026

सं० मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-02/2016/90—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-673 दिनांक-21.12.2015 द्वारा सुशासन के कार्यक्रम (2015-20) को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय एवं अन्य कार्यक्रमों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओं का अवधारण, अवधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-116 दिनांक-28.01.2016 द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अधीन बिहार विकास मिशन का गठन किया गया। पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955, दिनांक-15.12.2020 द्वारा सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अन्तर्गत सात निश्चय-2 (2020-25) एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने की स्वीकृति दी गयी तथा इसके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया।

2. विकास की गति को और तेज करने तथा अगले 5 वर्षों में बिहार को देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-1587 दिनांक-16.12.2025 द्वारा सात निश्चय-3 (2025-2030) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

3. सात निश्चय-3 तथा अन्य कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इनकी नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सात निश्चय-3 तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को सौंपा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 76-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>